1. नवीन आवेदन के लिए पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in को ओपन करें |

2. यहाँ नवीन आवेदन करें पर क्लिक कर प्रक्रिया प्रारंभ करें | जिससे नुम्नानुसार स्क्रीन प्राप्त होगी |

3. यहाँ पर कृषक का मोबाइल नंबर जिससे पंजीकरण करना हो, दर्ज करें | एप्लीकेशन मोबाइल पर OTP भेजकर सही नंबर की जाँच करेगा | OTP सत्यापन के उपरांत कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी |

4. एक बार सामान्य जानकारी भरने के उपरांत आपको निम्नानुसार स्क्रीन प्राप्ती होगी |

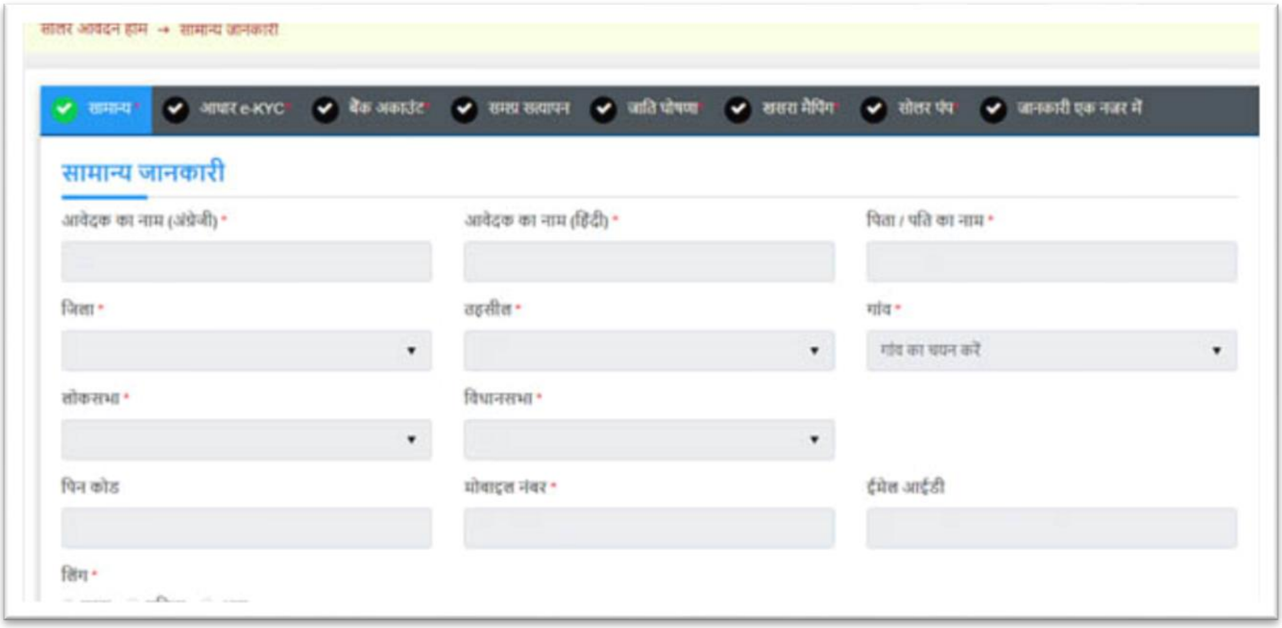

5. यहाँ पर कृषक का आधार ईकेवायसी, बैंक अकाउण्ट संबंधी जानकारी, जाति स्वघोषणा, जमीन से सम्बंधित खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी | जिसके प्रत्येक चरण नीचे दिए गए हैं-

a. आधार eKYC – किसी भी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के किये केवायसी किया जाता है जो कि अंग्रेजी शब्द Know Your Customer का छोटा रूप है | योजना के प्रावधानों के अनुरूप आधार आधारित ई- केवायसी (e-KYC) किया जाना आवश्यक है |आधार आधारित ई- केवायसी करने से व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त हो जाती है जिससे आवेदक को किसी भी तरह के अन्य पहचान प्रमाण को जमा करने की जरूरत नही होती है |इसे करने के लिए दो आप्शन उपलब्ध कराये गए हैं (i) OTP द्वारा (ii) बायोमेट्रिक द्वारा | जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नही है उसका eKYC बायोमेट्रिक मशीन द्वारा किया जा सकता है |

eKYC होने पर निम्नानुसार स्क्रीन प्राप्त होगी |

यदि किसी कारणवश आधार eKYC नही हो पाता है तो पोर्टल 3 प्रयासों के बाद स्वघोषणा पर आगे की कार्यवाही जारी रखेगा | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रकरणों में दी गयी जानकारी का अलग से सत्यापन कराया जा सकता है एवं किसी तरह की भ्रामक एवं गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है |

b. बैंक अकाउंट की जानकारी- आवेदक की बैंक संबंधी जानकारी रखने का उद्देश्य यह है कि यदि प्रकरण योजना अंतर्गत स्वीकृत नही होता है या कृषक भविष्य में योजना अंतर्गत लाभ नही लेना चाहता है तब पंजीकरण शुल्क / जमा किये गए कृषक अंश को दिए गए बैंक अकाउण्ट में वापसी जमा कराया जा सके |

c. समग्र की जानकारी (वैकल्पिक) - आवेदक की डेमाग्राफिक जानकारी के लिए आवश्यक है कि उसका समग्र आईडी के माध्यम से सत्यापन किया जावे | यहाँ पर आवेदक को अपना समग्र आईडी तथा परिवार आईडी की जानकारी दर्ज करना होगा |

d. जातिवर्ग की जानकारी- आवेदक को अपनी जातिवर्ग (सामान्य, अन्य् पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) संबंधी स्वप्रमाणित घोषणा की जानी अनिवार्य है |

e. खसरा मैपिंग की जानकारी - योजना प्रावधान अंतर्गत राज्य में कृषि भूमि पर ही योजना का लाभ ले सकते हैं |धारित कृषि भूमि के सत्यापन के लिए आवेदक के आधार नंबर से लिंक खसरे जो कि यहाँ दी गयी सारणी में आ रहे हैं, में से किसी खसरे में सोलर पंप लगाया जाना प्रस्तावित है, को चुनना होगा |यदि भूअभिलेख से खसरे प्राप्त नही होते हैं तो आवेदक अन्य खसरे चुन सकता है एवं आगे की कार्यवाही जारी रख सकता है | चुने गए अन्य् खसरे का सत्यापन अलग से किया जा सकता है |

(i) आधार से जुडे खसरे प्राप्त करना – यदि कृषक के खसरे की जानकारी आधार से जुडी हुई है तो सिस्टम स्वतः ही खसरों की सूची ले आवेगा | यहां उल्लेखनीय है कि आधार से जुडे खसरे लाने के लिए सम्बंधित कृषक का eKYC होना आवश्यक है |

उक्त स्क्रीन अनुसार जिस भी खसरे को लिंक करना है उसे चुनकर आधार से जुडे खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें बटन पर क्लिक कर करने से खसरे आवेदन के लिए सूचीबद्ध हो जावेगें |

(ii) यदि सम्बंधित कृषक के खसरे आधार से संलग्न नही हैं तो अन्य खसरे लिंक करने हेतु क्लिक करें बटन पर क्लिक करने से सिस्टम आपको निम्नानुसार स्क्रीन उपलब्ध करावेगा

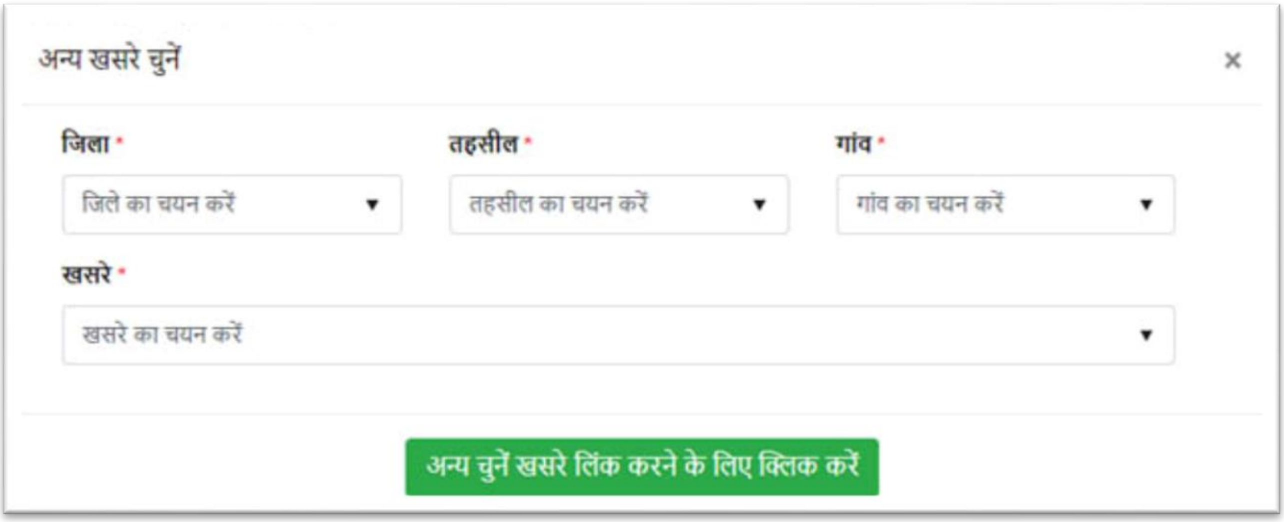

यहाँ से कृषक की भूमि जिस भी ग्राम में है, उस ग्राम को चुनें, सिस्टम चुने गए ग्राम के समस्त खसरे सूची में उपलब्ध करावेगा | ध्यान रहे कि ग्राम चुनने पर सभी खसरे की सूची प्राप्त करने में सिस्टम को कुछ समय लगता है अतएव थोडा इंतजार करना होगा |

अब चुने गए खसरे को जोडने के लिए अन्य चुने खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें बटन को दबावें |

अंत में मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही उपरोक्त जानकारी पूर्णत: सत्य है, के चेकबाक्स को चुनकर स्वप्रमाणन देते हुए खसरे चुनकर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें |

f. सोलर पंप जानकारी– अंत में चाहे गए सोलर पंप की जानकारी नीचे दिए गए फार्म अनुसार दर्ज की जानी होगी | यहां उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर फील्डज में केवल वही खसरे नंबर आवेगें जो कि पूर्व चरण में जोडे गए हैं |

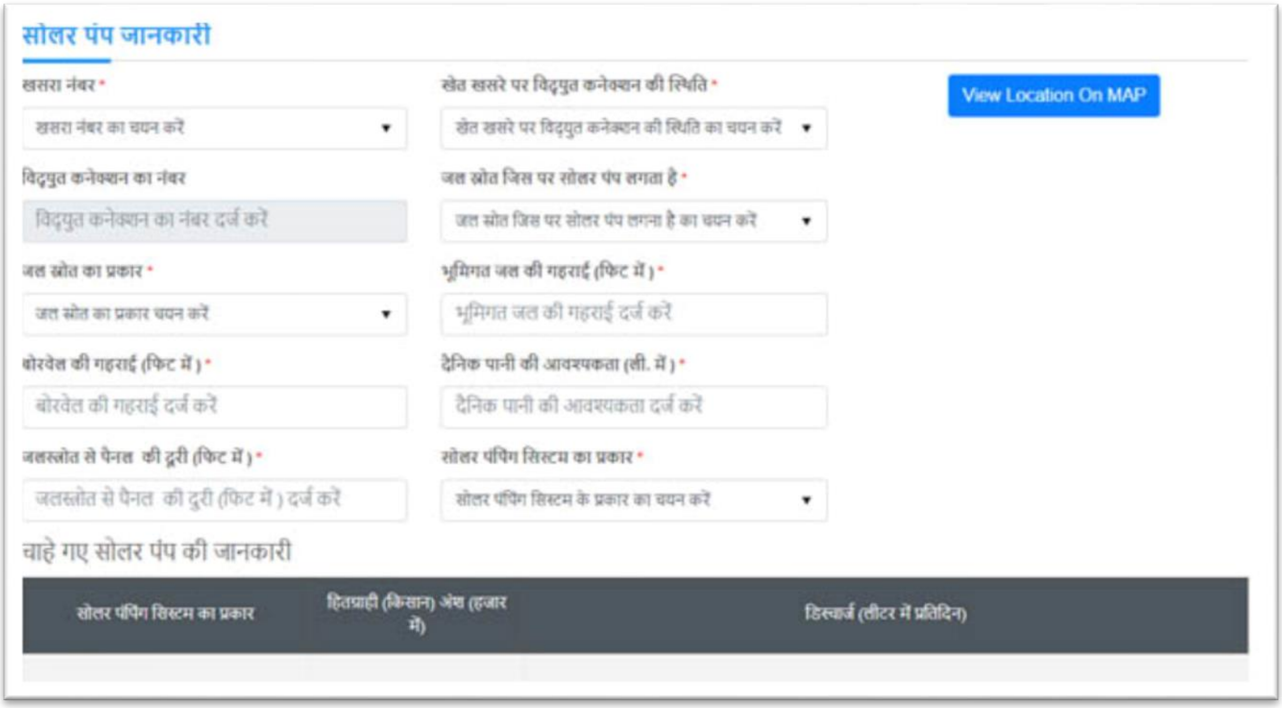

जैसे ही आप सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार चुनेगें, उसके नीचे दी गयी टेबल में कृषक अंश की राशि आ जावेगी |

अब सुरक्षित करें पर क्लिक करके आवेदन के अंतिम चरण में जा सकते हैं |

g. जानकारी एक नजर में – अब अंत में पोर्टल सभी भरी गयी जानकारी को प्रदर्शित करेगा | यहाँ पर जॉंच कर लेवें | आवश्यक होने पर किसी भी चरण पर जाकर जानकारी को बदला जा सकता है |

सबसे अंत में आवेदक को योजना की दी गयी शर्तें तथा दी गयी जानकारी की सत्यता संबंधी स्वाघोषणा दिए गए चेकबाक्स पर क्लिक कर करनी होगी |

यहाँ से जानकारी को प्रिंट कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है | आवेदन को सुरक्षित करने पर पोर्टल आवेदन क्रमांक आवंटित कर SMS के माध्यम से सूचित करेगा तथा आपको आनलाइन पेमेण्ट हेतु आगे बढायेगा |

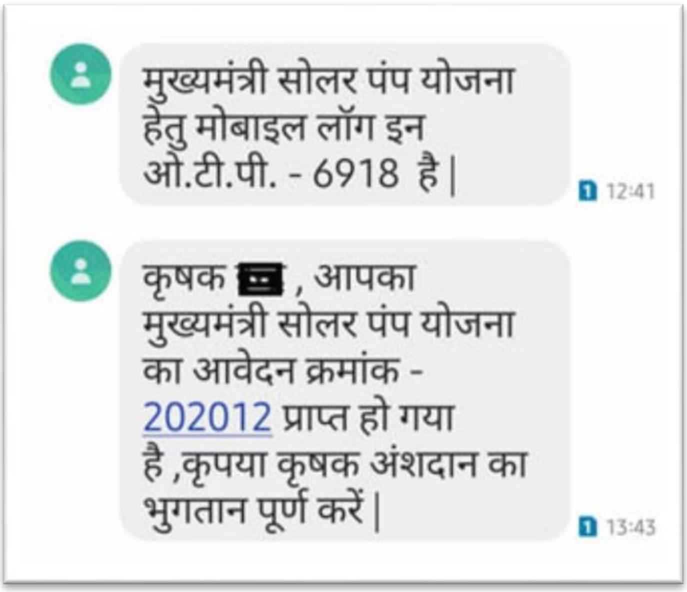

यहाँ पर Pay Now बटन पर क्लिक कर आनलाइन पेमेंट हेतु आगे बढा जा सकता है | पेमेण्ट गेटवे MPOnline के पेमेण्ट गेटवे के माध्यम से संपन्न होगी | यहाँ पर एमपीआनलाइन के पेमेण्ट् गेटवे के चार्जेस जुडकर भुगतान किया जाना होगा |

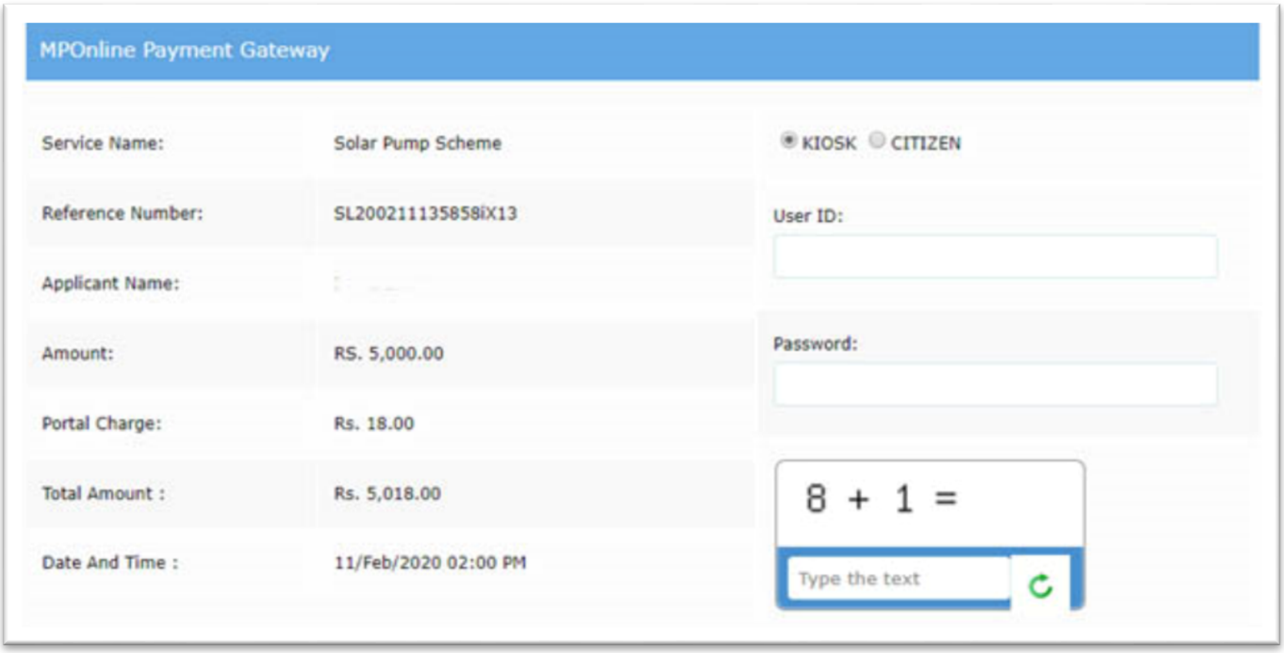

यदि कृषक स्वयं अपने कंप्यूटर से आनलाइन भुगतान करना चाहता है तो Citizen आप्शन के माध्यम से आगे बढना होगा जिससे आनलाइन भुगतान के सभी विकल्प निम्नानुसार प्राप्त होगें –

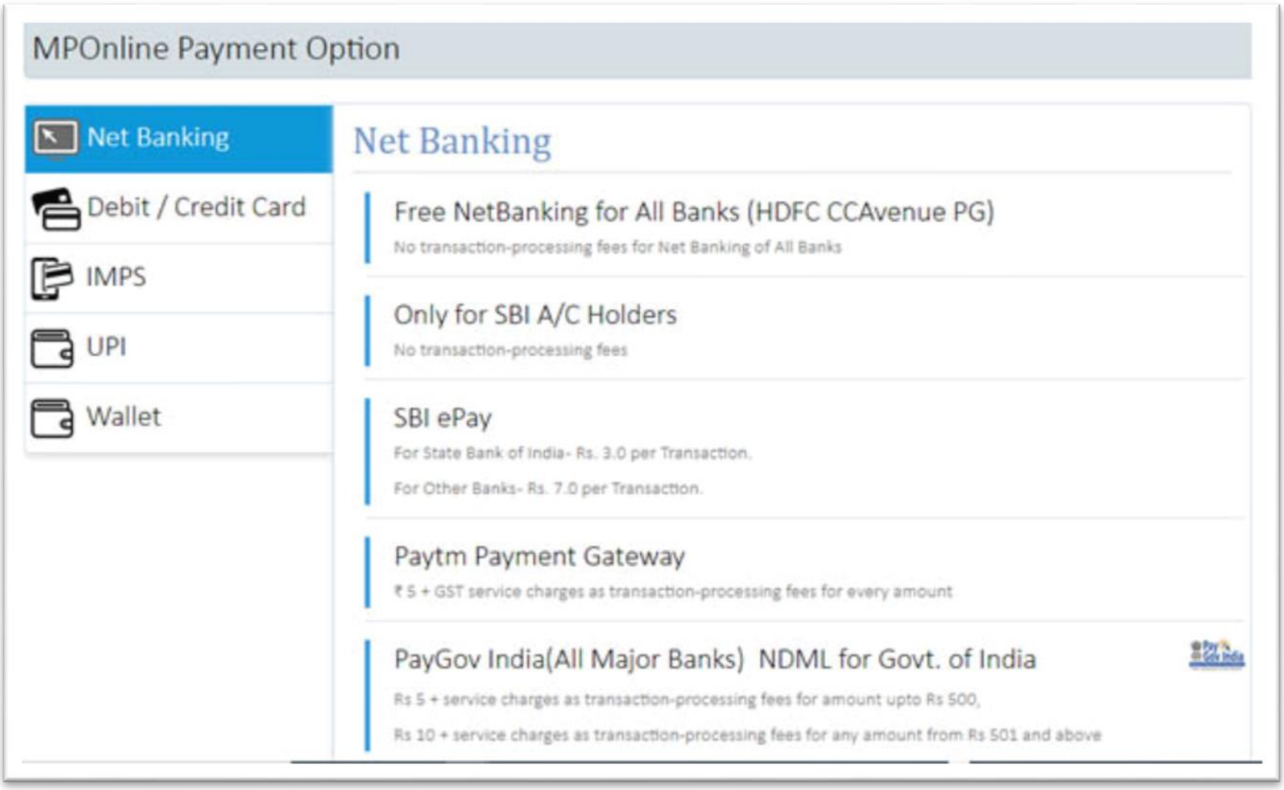

पेमेण्ट हो जाने पर आवेदक को आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जावेगा तथा SMS के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हो जावेगी |